

न्यायालय : सैलेन्द्र कुमार पाण्डा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम-सह-विशेष
न्यायाधीश, अनु० जाति/जनजाति, भोजपुर, आरा।
Complaint Case no. 42/2022

धर्मेन्द्र प्रसाद बनाम् चंदन सिंह

28.05.2025

परिवादी की हाजिरी है।

वाद पुकारा गया। बारंबार पुकार पर भी न तो परिवादी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं ना ही उनके ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

परिवाद पत्र का अवलोकन किया। परिवाद पत्र में उपलब्ध परिवादी का सशपथ बयान तथा जॉच साक्षी संख्या 1 बोलत पासवान का जॉच साक्ष्य के अवलोकन से प्रस्तुत परिवाद पत्र को अपराधिक मुकदमा में समाहित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सामग्री का अभाव भी दर्शित होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अलोक में प्रस्तुत परिवाद पत्र को खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित



जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम
भोजपुर, आरा।